# न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :श्वेता कोचर ( आर0ए0एस0 )
प्रार्थना–पत्र सं0 : 18 सन 2022
अनवान :–

1. खिवणी पत्नी सुखराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर

सायला

**बनाम**

1. पालाराम पुत्र हरिराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

**गैर सायल**

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता सायला
श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता गैरसायल
**निर्णय दिनांक :–** 04/10/2022

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायला ने विरूद्ध गैर सायल संख्या 1 प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि

सायला के ससुर सुखाराम की खातेदारी भूमि चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 10/10 की प0न0350/414(58) के किला न0 16 ता 18 ,23 ता 25 कुल 1.5180हैक तथा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 13/12 के प0न0 351/414(34) के किला न0 17 ता 22 की कुल 3.0360हैक भूमि थी।

सुरजाराम के कुल पांच वारिस अनकोरी , हरिराम , कानाराम, सुखराम, सरबती थे जिनमें से खातेदार हरिराम फोत हो चुका है जिसके वारिस पालाराम है तथा कानाराम लावल्द फोत हो चुका है जिसका खोलायत पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 बनवारी है तथा सुखराम भी फोत हो चुका है जिसके वारिस सायला व प्रतिवादी संख्या 3 ,4 है इसलिये सुरजाराम की खातेदारी भूमि में सायला के पति सुखराम व कानाराम , हरिराम व सरबती व अनकोरी प्रत्येक का 1/5 – 1/5 हिस्सा बनता था जिसमें अनकोरी के वारिसों व सरबती के अपना अपना हिस्सा त्याग कर दिया है।

कानूनी तौर से हक त्याग जरिये दस्तबरदारी सभी भाईयों के पक्ष में बराबर ही किया जा सकता है लेकिन पालाराम ने विधि विरूद्व तरीके से सायला व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हकों को हडपनें की नियत से अपने अकेले के नाम हक त्याग करवा लिया जो जन्मजात शुन्य है तथा सायला के हकों के मुकाबले शुन्य है जिसकी घोषणा न्यायालय से वादीया करवा पाने की अधिकारी है

गैरसायल संख्या 1 ने विधि विरूद्व तरीके से जन्मजात शुन्य दस्तावेज के आधार पर सरबती व अनकोरी के वारिसों का 2/5 हिस्सा अपने अकेले के नाम करवा लिया है जिसे दुरूस्त किया जाकर चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 10/10 में सायला व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम सयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा , गैरसायल संख्या 1 के नाम 8/30 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/3 हिस्सा तथा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 13/12 में सायला व प्रतिवादी संख्या 3 ,4 के नाम सयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा गैरसायल संख्या 1 के नाम 22/75 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

गैरसायल संख्या 1 पालाराम ने चक 1 आरएमएस में अपने पुत्र प्रमोद के नाम 1/30 हिस्सा भूमि करवा रखी है तथा जमना पत्नी हरिराम के नाम 1/30 हिस्सा पहले से दर्ज है इसलिये पालाराम के नाम 8/30 हिस्सा दर्ज की जावे तथा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 13/12 में पालाराम के नाम दर्ज 14/25 हिस्सा की जगह पालाराम के नाम 22/75 हिस्सा तथा सायला व प्रतिवादीया संख्या 3 ,4 के नाम सयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे खाता संख्या 13/12 में प्रमोद के नाम पहले से 1/25 हिस्सा दर्ज है।

चक 1 आरएमएस में बनवारी पुत्र सुखराम के नाम 1/20 हिस्सा दर्ज है जबकि बनवारी कानाराम के खोले चला गया है तथा कानाराम का हिस्सा बनवारी ने प्राप्त कर

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)



Scanned with CamScanner

लिया है लेकिन जमाबन्दी में बनवारी पुत्र सुखराम के नाम भी 1/20 हिस्सा दर्शा रखा है जिसे दुरूस्त किया जाकर सायला प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम किया जावे

पालाराम गैरसायल संख्या 1 ने विधि विरूद्व तरीके से शुन्य दस्तावेज के आधार पर हक से ज्यादा भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली है तथा उक्त भूमि को रहन बेय अथवा मुन्तकिल करने की फिराक में है यदि ऐसा हो गया तो सायला को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी सुरत में सम्भव नही है इसलिये सायला गेरसायल संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने की अधिकारी है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 10/10 की कुल 1.5180हैक भूमि में पालाराम के नाम दर्ज 8/15 हिस्सा भूमि तथा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 13/12 की कुल 3.0360हैक भूमि में पालाराम के नाम दर्ज 14/25 हिस्सा भूमि को रहन बेय व मुन्तकील ना किया जावे मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश ताफैसला दावा फरमावे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया गैरसायल संख्या 2 ,3 की और से परोकार राज उपस्थित एव गैरसायल संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया की

सायला जिस दस्तावेजात को शुन्य बताती है वह दस्तावेजात सिविल न्यायालय द्वारा मुताबिक राजीनामा निरस्त करवा लिया गया है इसलिये उतरादाता के नाम दर्ज हिस्सा की पूर्व की स्थिति हो चुकी है इसलिये मुल वाद व प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

वादिया का दावा व प्रार्थना पत्र दस्तबरदारी ( हक त्याग ) रिलिज डीड को आधार मानकर पेश किया है जो सिविल न्यायालय नोहर द्वारा खारीज किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि व राजस्व रिकार्ड की स्थिति दस्तबरदारी से पूर्व की स्थिति बहाल होनी है किन्तु दिनांक 11.022022 को एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी होने के कारण सरबती आदि जिन्होने दस्तबरदारी की उनके नामान्तकरण दर्ज होने में कानूनी बाधा आ रही है जब सिविल न्यायालय द्वारा दस्तावेज दस्बरदारी को राजीनामा के आधार पर खारीज किया जा चुका है तो उतरदाता के विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है सायला का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

गैरसायल संख्या 1 का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षो की बहस सुनी गई ।

सायला के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की सायला के ससुर सुखाराम की खातेदारी भूमि चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 10/10 की प0न0350/414(58) के किला न0 16 ता 18 ,23 ता 25 कुल 1.5180हैक तथा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 13/12 के प0न0 351/414(34) के किला न0 17 ता 22 की कुल 3.0360हैक भूमि थी।

सुरजाराम के कुल पांच वारिस अनकोरी , हरिराम , कानाराम, सुखराम, सरबती थे जिनमें से खातेदार हरिराम फोत हो चुका है जिसके वारिस पालाराम है तथा कानाराम लावल्द फोत हो चुका है जिसका खोलायत पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 बनवारी है तथा सुखराम भी फोत हो चुका है जिसके वारिस सायला व प्रतिवादी संख्या 3 ,4 है इसलिये सुरजाराम की खातेदारी भूमि में सायला के पति सुखराम व कानाराम , हरिराम व सरबती व अनकोरी प्रत्येक का 1/5 – 1/5 हिस्सा बनता था जिसमें अनकोरी के वारिसों व सरबती के अपना अपना हिस्सा त्याग कर दिया है।

कानूनी तौर से हक त्याग जरिये दस्तबरदारी सभी भाईयों के पक्ष में बराबर ही किया जा सकता है लेकिन पालाराम ने विधि विरूद्व तरीके से सायला व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हकों को हडपनें की नियत से अपने अकेले के नाम हक त्याग करवा लिया जो जन्मजात शुन्य है तथा सायला के हकों के मुकाबले शुन्य है जिसकी धोषणा न्यायालय से वादीया करवा पाने की अधिकारी है

गैरसायल संख्या 1 ने विधि विरूद्व तरीके से जन्मजात शुन्य दस्तावेज के आधार पर सरबती व अनकोरी के वारिसों का 2/5 हिस्सा अपने अकेले के नाम करवा लिया है जिसे दुरूस्त किया जाकर चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 10/10 में सायला व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम सयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा , गैरसायल संख्या 1 के नाम 8/30 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/3 हिस्सा तथा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 13/12 में सायला व प्रतिवादी संख्या 3 ,4 के नाम सयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा गैरसायल संख्या 1 के नाम 22/75 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)



Scanned with CamScanner

गैरसायल संख्या 1 पालाराम ने चक 1 आरएमएस में अपने पुत्र प्रमोद के नाम 1/30 हिस्सा भूमि करवा रखी है तथा जमना पत्नी हरिराम के नाम 1/30 हिस्सा पहले से दर्ज है इसलिये पालाराम के नाम 8/30 हिस्सा दर्ज की जावे तथा चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 13/12 में पालाराम के नाम दर्ज 14/25 हिस्सा की जगह पालाराम के नाम 22/75 हिस्सा तथा सायला व प्रतिवादीया संख्या 3 ,4 के नाम सयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे खाता संख्या 13/12 में प्रमोद के नाम पहले से 1/25 हिस्सा दर्ज है।

चक 1 आरएमएस में बनवारी पुत्र सुखराम के नाम 1/20 हिस्सा दर्ज है जबकि बनवारी कानाराम के खोले चला गया है तथा कानाराम का हिस्सा बनवारी ने प्राप्त कर लिया है लेकिन जमाबन्दी में बनवारी पुत्र सुखराम के नाम भी 1/20 हिस्सा दर्शा रखा है जिसे दुरूस्त किया जाकर सायला प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम किया जावे

पालाराम गैरसायल संख्या 1 ने विधि विरूद्व तरीके से शुन्य दस्तावेज के आधार पर हक से ज्यादा भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली है तथा उक्त भूमि को रहन बेय अथवा मुन्तकिल करने की फिराक में है यदि ऐसा हो गया तो सायला को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी सुरत में सम्भव नही है इसलिये सायला गेरसायल संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने की अधिकारी है।

गैरसायल संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायला जिस दस्तावेजात को शुन्य बताती है वह दस्तावेजात सिविल न्यायालय द्वारा मुताबिक राजीनामा निरस्त करवा लिया गया है इसलिये उतरादाता के नाम दर्ज हिस्सा की पूर्व की स्थिति हो चुकी है इसलिये मुल वाद व प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

वादिया का दावा व प्रार्थना पत्र दस्तबरदारी ( हक त्याग ) रिलिज डीड को आधार मानकर पेश किया है जो सिविल न्यायालय नोहर द्वारा खारीज किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि व राजस्व रिकार्ड की स्थिति दस्तबरदारी से पूर्व की स्थिति बहाल होनी है किन्तु दिनांक 11.022022 को एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी होने के कारण सबरती आदि जिन्होने दस्तबरदारी की उनके नामान्तकरण दर्ज होने में कानूनी बाधा आ रही है जब सिविल न्यायालय द्वारा दस्तावेज दस्बरदारी को राजीनामा के आधार पर खारीज किया जा चुका है तो उतरदाता के विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है सायला का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 10/10 की कुल 1.5180हैव भूमि एव चक 3 आरएमएस के खाता संख्या 13/12 की कुल 3.0360हैव भूमि वाद में दर्ज वादी एव प्रतिवादीगण के नाम सयुक्त खातें में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जो विरास्तन /गोदनामा के आधार पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज हुई है।

सायला का कथन है कि दस्तरदारी सभी भाईयों के पक्ष में बराबर ही की जा सकती है एक के पक्ष में की गई दस्तबरदारी शुन्य है इसलिये प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है गैरसायल संख्या 1 का कथन है कि जिस दस्तवरदारी के आधार पर सायला ने प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह दस्तवरदारी प्रार्थना पत्र पेश होने से पूर्व ही सिविल न्यायालय नोहर के द्वारा निरस्त की जा चुकी है इसलिये दस्तवरदारी से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल होनी है।

सायला के द्वारा प्रस्तुत दस्तवरदारी की प्रति के अनुसार सरवती पुत्री सुरजाराम , पूजा पुत्री सुरेश कुमार जाति जाट द्वारा दस्तवरदारी दिनांक 20.07.2021 के जरिये अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग पालराम पुत्र हरीराम के पक्ष में किया गया था।

इसीप्रकार भूपसिह , भागाराम , बिदो, सन्तो पुत्र/पुत्रीया अनकौरी पुत्री सुरजाराम , कमों उर्फ कमला पत्नी रूलीचन्द पुत्र अनकोरी , कृष्णा , चन्द्रपाल, महेन्द्र रोशनी पि0 रूलीचन्द पुत्र अनकोरी जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर द्वारा दिनांक 25.11. 2021 के जरिये अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग पालाराम पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर के पक्ष में किया गया था।

उक्त दोनो दस्तवरदारी पालाराम पुत्र हरीराम जाति जाट के पक्ष में की गई है जिसे सायला विधि विरूद्व एव शुन्य करवाना चाहते है।

गैरसायल संख्या 1 के माननीय सिविल न्यायालय के वाद संख्या 44/2022 अनवानी रामस्वरूप बनाम पालाराम में दिनांक 12.03.2022 को राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री किया जाकर दस्बतरदारी दिनांक 20.07.2021 को अकृत शुन्य व निरस्त किया जा

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)



Scanned with CamScanner

चुका है इसीप्रकार प्रकरण संख्या 81/2022 अनवानी पूजा बनाम पालाराम में दिनांक 14.05.2022 को निर्णय पारित किया जाकर दस्तबरदारी दिनांक 25.11.2021 का अकृत, शुन्य एव निरस्त किया जा चुका है।

सायला ने हस्तगत प्रार्थना पत्र उक्त दोनो दस्तबरदारी के आधार पर ही प्रार्थना पत्र पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी जब सिविल न्यायालय द्वारा सायला द्वारा चाहा गया अनुतोष दस्तबरदारी को शुन्य करवाना पूर्व में ही दिया जा चुका है।

सिविल न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय की पालना में राजस्व रिकार्ड में दस्तबरदारी शुन्य/निरस्त के आधार पर अंकन किया जाना है जो न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सायला द्वारा जिस दस्तबरदारी के आधार पर प्रार्थन पत्र पेश कर अस्थाई निषधाज्ञा चाही गई थी वह दस्तबरदारी सिविल न्यायालय द्वारा खारिज करने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण एव अपूर्णीय क्षति का बिन्दु समाप्त हो जाता है।

सायला का प्रार्थना पत्र सिविल न्यायालय नोहर के निर्णय दिनांक 12.03.2022 एवं 14.05.2022 जिसके द्वारा पालाराम के पक्ष में की गई दस्तवरदारीया निरस्त की गई है के मध्यनजर सायला का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योगय है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायला के पक्ष में सावित नही होने के सायला का प्रार्थना चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा दिनांक 11.02.2022 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीवी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/10/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर( हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner